JALAUN POLICE

दिनांक –07.01.2025

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक झांसी परिक्षेत्र झांसी के पर्यवेक्षण में पुलिस अधीक्षक जालौन द्वारा सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

जालौन पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं अचूक साक्ष्य संकलन तथा डीजीसी क्रिमिनल व उनकी टीम, कोर्ट पैरोकार की प्रभावी पैरवी फलस्वरूप 01 अभियोग में 02 अभियुक्तगण को मान0 न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास एवं 22,000-22,000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

मुकदमें में सजा पाये अभियुक्तगण का विवरण निम्नवत है –

प्रकरण प्रथम– वादी अश्वनी दुबे पुत्र ओमप्रकाश दुबे निवासी ग्राम सिरसा दो गढी थाना माधौगढ जनपद जालौन की 05 वर्षीय पुत्री हत्या के संबन्ध में तहरीर के आधार पर दिनांक 05.04.2023 को थाना माधौगढ पर मु0अ0सं0 64/23 (वाद संख्या 145/23) धारा 302/201/506 भादवि बनाम 1-नेत्रपाल सिंह राजावत पुत्र शिवराम सिंह उर्फ झण्डू थाना माधौगढ जनपद जालौन के अभियोग पंजीकृत हुआ था। विवेचना से अन्य अभियुक्ता राधा देवी पत्नी अश्वनी निवासी ग्राम सिरसा दोगढी प्रकाश में आयी थी दिनांक 07.04.2023 को दोनों अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा विवेचक द्वारा प्रभावी साक्ष्य संकलन व गवाहो के बयान अंकित करते हुए वैज्ञानिक तरीके से विवेचना पूर्ण अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध दिनांक 22.06.2023 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

जालौन पुलिस टीम एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुये दिनांक 07.01.2025 को मा0 न्यायालय एडीजे एफटीसी/सीएडब्ल्यू जीएसटी कोर्ट उरई जनपद जालौन द्वारा उपरोक्त अभियुक्त नेत्रपाल एवं अभियुक्ता राधा देवी उपरोक्त को दोषी पाते हुये आजीवन कारावास एवं 22,000-22,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।